# झारखंड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–1005/2017–          /राँची/दिनांक................

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो०–हिनू, राँची।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः– **गोड्डा जिला अंतर्गत तरडीहा बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 16.20 करोड़ (रूपये सोलह करोड बीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश–स्वीकृत**

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के परिक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत पत्थरगामा प्रखण्ड के तरडीहा ग्राम के निकट सुन्दर नदी पर तरडीहा बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रू०16.20 करोड़ (रूपये सोलह करोड बीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस बराज के निर्माण स्थल तक नदी का जलग्रहण क्षेत्र 155 वर्ग किलोमीटर आकलित है। योजना का सिंचाई क्षमता 567 हे० है। योजना से गोड्डा जिले के 567 हे० खरीफ क्षेत्र में सिंचाई दी जा सकेगी। गोड्डा जिला की लगभग 80% जनसंख्या की जीविका कृषि आधारित है। इस योजना के अन्तर्गत सुन्दर नदी पर 79 मीटर लम्बा बराज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 5 मीटर, जिसमें गेटों की संख्या 7 है। इनका Size 10 m x 3.2 m है। दो River Sluice का भी प्रावधान है, जिसके गेट का Size 10m x 4.2 m है। तरडीहा बराज के बाँये भाग से निःसृत तरडीहा वितरणी की लम्बाई 4778 मी० है। इससे निःसृत लघु एवं उप लघु नहर की लम्बाई 9310 मी० प्रस्तावित है। बराज निर्माण के बाद 7.388 MCM पानी का Storage होगा, जिससे खरीफ में सिंचाई दिया जा सकेगा।
3. इस योजना के निर्माण से गोड्डा जिले के तरडीहा, मटिहानी, महेशलिट्टि, सरेया, चौरा, घटकुरवा, राम–सुन्दरिया, पारसबना तथा पंजराड़ ग्राम लाभान्वित होंगे।
4. इस योजना के लिए लगभग 13.04 एकड़ भू–अर्जन की आवश्यकता होगी।
5. इस योजना के कार्य को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2021–22 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

6. इस योजना के लिये मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा रू० 16,19,80,200/– (सोलह करोड़ उन्नीस लाख अस्सी हजार दो सौ) मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर–महगामा होंगे।

8. वर्ष 2018–19 में इस योजना पर होने वाला व्यय (i) मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–SCSP, उप शीर्ष–65–छोटानागपुर एवं संथालपरगना, सिंचाई परियोजनान्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य में रू० 50.00 लाख एवं (ii) मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–65–छोटानागपुर एवं संथालपरगना, सिंचाई परियोजनान्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य में रू० 50.00 लाख विकलनीय होगा।

9. वर्ष 2018–19 से आगे की वर्षों में इस योजना पर होने वाला व्यय चालू योजनाओं के निर्माण कार्य के लिये बजट शीर्ष 49S–4701–80–789–64–05–45 में रू० 750.00 लाख एवं 49S-4701–80–800–64–05–45 में रू० 770.00 लाख विकलनीय होगा।

10. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
**(राजेन्द्र प्रसाद)**
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–1005/2017–          /राँची/दिनांक................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड राँची–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

**पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–1005/2017–          /राँची/दिनांक................**

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

**पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–1005/2017–** 2218–9 प्र.श्री. **/राँची/दिनांक** 11.07.2018

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर–महगामा/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
11/07/18